सं0सं0-FE-1640/2/2021-...............

बिहार सरकार

<u>समाज कल्याण विभाग</u>

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

ई-मेल

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज/ वैशाली/ सिवान/ मधेपुरा।

पटना, दिनांक-....................

विषय :- **बिहार बाल विकास सेवा के नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के तृतीय चरण के प्रशिक्षण के संबंध में।**

प्रसंग- **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-3454 दिनांक-28.02.2024 एवं बिपार्ड, गया के पत्रांक-5740 दिनांक-21.12.2024**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में पदस्थापित बिहार बाल विकास सेवा के नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का प्रथम एवं द्वितीय चरण का Foundation/ Induction Course का प्रशिक्षण दिनांक-01.01.2025 से 31.05.2025 तक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड),गया में दिया गया है।

2. विदित हो कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-3454 दिनांक-28.02.2024 द्वारा आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को परिवीक्षा अवधि में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01 (एक) वर्ष निर्धारित की गयी है। एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को 04 चरणों में विभक्त किया गया है।

3. बिपार्ड, गया में दिनांक-31.05.2025 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुल-05 नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का तृतीय चरण (कुल-06 माह) का प्रशिक्षण उनके पदस्थापित परियोजना/जिला में हीं सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment) करते हुए निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र०	प्रशिक्षण कार्यक्रम (तृतीय चरण)	प्रशिक्षण अवधि	अभ्युक्ति
1	कोषागार प्रशिक्षण	2 सप्ताह	जिला स्तर (बिहार कोषागार संहिता के नियमों एवं कोषागार पदाधिकारी के कार्यो का जानकारी आदि)
2	जिला समाहरणालय (4 सप्ताह)	2 दिन	जिला नजारत
		2 दिन	राजस्व
		2 दिन	सामान्य शाखा
		2 दिन	आपूर्ति
		1 सप्ताह	जिला विकास शाखा
		1 सप्ताह	जिला लेखा कार्यालय

क्र०	प्रशिक्षण कार्यक्रम (तृतीय चरण)	प्रशिक्षण अवधि	अभ्युक्ति
		2 दिन	परिवहन
		2 दिन	निर्वाचन
3	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	2 सप्ताह	योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।
4	जिला प्रोग्राम कार्यालय (आई०सी०डी०एस०)	8 सप्ताह	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।
5	जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग	3 सप्ताह	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।
6	जिला बाल संरक्षण इकाई	3 सप्ताह	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।
7	जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण	2 सप्ताह	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण।
8	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	1 सप्ताह	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के साथ संबद्ध।
	कुल	26 सप्ताह	

अतः उक्त के आलोक में बिपार्ड, गया से दिनांक-31.05.2025 को विरमित होने के पश्चात नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्य के लिए संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०) को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०)-सह-नोडल पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी से समन्वय एवं मार्गदर्शन के आलोक में सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें।

अनुलग्नक :- सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- FE-1640/2/2021-............... पटना, दिनांक-....................

प्रतिलिपि :- संबंधित सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ संबंधित सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ संबंधित सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई/संबंधित सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग/ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, समाज कल्याण विभाग (विभागीय WebSite पर अपलोक करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।